

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
पटना नगर निगम, पटना।
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, समस्तीपुर।

पटना, दिनांक- ०३/०१/१४

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में विभिन्न नगर निकायों में नाला निर्माण मद की स्वीकृत योजनाओं के लिए देनदारी की राशि के रूप में वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल ₹425.96300 लाख (चार करोड़ पचीस लाख छियानवे हजार तीन सौ रु०) मात्र की सहायक अनुदान के रूप आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में विभिन्न नगर निकायों में जल जमाव की समस्या के समाधान हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना को स्तम्भ- 4 में अंकित राज्यादेश/पत्रांक द्वारा स्तम्भ- 5 में अंकित राशि के अनुरूप स्वीकृति प्रदान करते हुए स्तम्भ- 6 में अंकित राशि आवंटित की गई थी। उक्त के आलोक में योजना के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ- 7 में अंकित अवशेष कुल देनदारी की राशि ₹793.82950 लाख (सात करोड़ तिरानवे लाख बेरासी हजार नौ सौ पचास रु०) मात्र में से स्तम्भ- 8 के अनुरूप कुल ₹425.96300 लाख (चार करोड़ पचीस लाख छियानवे हजार तीन सौ रु०) मात्र विभागीय राज्यादेश सं०-.....४४..... दिनांक-०३/०१/१४ के आलोक में नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद से निम्नवत् आवंटित की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	राज्यादेश सं०/ दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	कुल अवशेष राशि (5-6)	तत्काल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगर निगम, पटना	कंकड़बाग अंचल के अम्बेदर मूर्ति से काली मंदिर रोड तक विवेक विहार मोड़ से हनुमान नगर पानी टंकी तक (नया कार्य)।	पत्रांक- 2513, दिनांक- 18.05.15	90.42800	0.00000	90.42800	45.21400
2		कंकड़बाग अंचल के चिरैयाँटाण्ड दुर्गा मंदिर से कॉलोनी मोड़ से (नया कार्य)।		78.63300	0.00000	78.63300	39.31650
3		कंकड़बाग अंचल के कंकड़बाग टेम्पु स्टैण्ड के पास पटना नगर निगम द्वारा निर्मित ट्रंक लाईन के Zero Point to N.B.C.C (नया कार्य)।		79.75100	0.00000	79.75100	39.87550

4		कंकड़बाग अंचल के जवकनपुर थाना से मीठापुर बस स्टैण्ड के पश्चिम तक (नया कार्य)।		78.63300	0.00000	78.63300	39.31650
5		कंकड़बाग अंचल के Part B योगीपुर खुला नाला का ऊचाई बढ़ोतरी का कार्य (तीन फीट)।		245.26500	0.00000	245.26500	122.63250
6		वार्ड सं०- 47 में संदलपुर कब्र से अलकापुरी के अमरेन्द्र कुमार अधिवक्ता के घर होते हुए विस्कोमान कॉलोनी, कुम्हार पुलतक भू-गर्भ नाला का निर्माण कार्य।		76.72300	0.00000	76.72300	38.36150
7		Construction of R.C.C Covered Drain from Power state holding Corporation Guest house to New Punai Chak square in Word No. - 20	पत्रांक- 2457, दिनांक- 30.03.17	86.30000	0.00000	86.30000	43.15000
योग(क)				735.73300	0.00000	735.73300	367.86650
8	नगर परिषद्, समस्तीपुर	समस्तीपुर नगर परिषद् वार्ड नं०- 02 में हाजी अब्दुल हकीम के घर के निकट से रामचन्द्र महतों के घर होते हुए पंजाबी कॉलोनी गली नं०- 01 तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	राज्यादेश सं०- 89, दिनांक- 24.12.14	116.19300	58.09650	58.09650	58.09650
योग(ख)				116.19300	58.09650	58.09650	58.09650
कुल योग(क+ख)				851.92600	58.09650	793.82950	425.96300

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹425.96300 लाख (चार करोड़ पचीस लाख छियानवे हजार तीन सौ रु०) मात्र।

3. आवंटित कुल ₹425.96300 लाख (चार करोड़ पचीस लाख छियानवे हजार तीन सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, समस्तीपुर होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

4. राशि की निकासी के बाद T.V. न० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 1496/ वि(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

5. (क) आवंटित राशि ₹425.96300 लाख (चार करोड़ पचीस लाख छियानवे हजार तीन सौ रु०) मात्र में से क्रमांक- 1 से 07 पर अंकित पटना नगर निगम, पटना के योजना के लिए कुल ₹367.86650

लाख (तीन करोड़ सड़सठ लाख छियासी हजार छः सौ पचास रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 मुख्य शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष- 02-मल जल तथा सफाई, लघु शीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष-0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान विपत्र कोड- 48-2215021910102, विषय शीर्ष- 0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण से की जायेगी। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में आवश्यक राशि का उपबंध है।

(ख) आवंटित राशि ₹425.96300 लाख (चार करोड़ पचीस लाख छियानवे हजार तीन सौ रु०) मात्र में से क्रमांक- 08 पर अंकित नगर परिषद, समस्तीपुर की योजना के लिए कुल ₹58.09650 लाख (अठारन लाख नौ हजार छः सौ पचास रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 मुख्य शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष- 02-मल जल तथा सफाई, लघु शीर्ष- 192-नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, उपशीर्ष-0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान विपत्र कोड- 48-2215021920102, विषय शीर्ष- 0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण से की जायेगी। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में आवश्यक राशि का उपबंध है।

6. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि आवंटित की जाती है:-

(i) योजना का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकाय द्वारा किया जाएगा।

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर किया जाएगा।

(iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

(iv) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।

04

9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. इसकी महालेखाकार, बिहार, पटना/सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, पटना एवं समस्तीपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

05.12.17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-02-01/2013 89 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 03/01/18

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, पटना एवं समस्तीपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुडा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05.12.17

सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-03/01/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में विभिन्न नगर निकायों में नाला निर्माण मद की स्वीकृत योजनाओं के लिए देनदारी की राशि के रूप में वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल ₹425.96300 लाख (चार करोड़ पचीस लाख छियानवे हजार तीन सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में विभिन्न नगर निकायों में जल जमाव की समस्या के समाधान हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना को स्तम्भ- 4 में अंकित राज्यादेश/पत्रांक द्वारा स्तम्भ- 5 में अंकित राशि के अनुरूप स्वीकृति प्रदान करते हुए स्तम्भ- 6 में अंकित राशि आवंटित की गई थी। उक्त के आलोक में योजना के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ- 7 में अंकित अवशेष कुल देनदारी की राशि ₹793.82950 लाख (सात करोड़ तिरानवे लाख बेरासी हजार नौ सौ पचास रु०) मात्र में से स्तम्भ- 8 के अनुरूप कुल ₹425.96300 लाख (चार करोड़ पचीस लाख छियानवे हजार तीन सौ रु०) मात्र की स्वीकृति नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद से निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	राज्यादेश सं०/ दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	कुल अवशेष राशि (5-6)	तत्काल स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगर निगम, पटना	कंकड़बाग अंचल के अम्बेदर मूर्ति से काली मंदिर रोड तक विवेक विहार मोड़ से हनुमान नगर पानी टंकी तक (नया कार्य)।	पत्रांक- 2513, दिनांक- 18.05.15	90.42800	0.00000	90.42800	45.21400
2		कंकड़बाग अंचल के चिरैयॉटान्ड दुर्गा मंदिर से कॉलोनी मोड़ से (नया कार्य)।		78.63300	0.00000	78.63300	39.31650
3		कंकड़बाग अंचल के कंकड़बाग टेम्पु स्टैण्ड के पास पटना नगर निगम द्वारा निर्मित ट्रंक लाईन के Zero Point to N.B.C.C (नया कार्य)।		79.75100	0.00000	79.75100	39.87550

4		कंकड़बाग अंचल के जक्कनपुर थाना से मीठापुर बस स्टैण्ड के पश्चिम तक (नया कार्य)।		78.63300	0.00000	78.63300	39.31650
5		कंकड़बाग अंचल के Part B योगीपुर खुला नाला का ऊचाई बढ़ोतरी का कार्य (तीन फीट)।		245.26500	0.00000	245.26500	122.63250
6		वार्ड सं०- 47 में संदलपुर कब्र से अलकापुरी के अमरेन्द्र कुमार अधिवक्ता के घर होते हुए विस्कोमान कॉलोनी, कुम्हार पुलतक भू-गर्भ नाला का निर्माण कार्य।		76.72300	0.00000	76.72300	38.36150
7		Construction of R.C.C Covered Drain from Power state holding Corporation Guest house to New Punai Chak square in Word No. - 20	पत्रांक- 2457, दिनांक- 30.03.17	86.30000	0.00000	86.30000	43.15000
योग(क)				735.73300	0.00000	735.73300	367.86650
8	नगर परिषद्, समस्तीपुर	समस्तीपुर नगर परिषद् वार्ड नं०- 02 में हाजी अब्दुल हकीम के घर के निकट से रामचन्द्र महलों के घर होते हुए पंजाबी कॉलोनी गली नं०- 01 तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	राज्यादेश सं०- 89, दिनांक- 24.12.14	116.19300	58.09650	58.09650	58.09650
योग(ख)				116.19300	58.09650	58.09650	58.09650
कुल योग(क+ख)				851.92600	58.09650	793.82950	425.96300

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹425.96300 लाख (चार करोड़ पचीस लाख छियानवे हजार तीन सौ रु०) मात्र।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

3. स्वीकृत कुल ₹425.96300 लाख (चार करोड़ पचीस लाख छियानवे हजार तीन सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, समस्तीपुर होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

4. राशि की निकासी के बाद T.V. न० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 1496/ वि(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

5. (क) स्वीकृत राशि ₹425.96300 लाख (चार करोड़ पचीस लाख छियानवे हजार तीन सौ रु०) मात्र में से क्रमांक- 1 से 07 पर अंकित पटना नगर निगम, पटना के योजना के लिए कुल ₹367.86650 लाख (तीन करोड़ सड़सठ लाख छियासी हजार छः सौ पचास रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 मुख्य शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष- 02-मल जल तथा सफाई, लघु शीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष-0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान विपत्र कोड- 48-2215021910102, विषय शीर्ष- 0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण से की जायेगी। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में आवश्यक राशि का उपबंध है।

(ख) स्वीकृत राशि ₹425.96300 लाख (चार करोड़ पचीस लाख छियानवे हजार तीन सौ रु०) मात्र में से क्रमांक- 08 पर अंकित नगर परिषद, समस्तीपुर की योजना के लिए कुल ₹58.09650 लाख (अठावन लाख नौ हजार छः सौ पचास रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 मुख्य शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष- 02-मल जल तथा सफाई, लघु शीर्ष- 192-नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, उपशीर्ष-0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान विपत्र कोड- 48-2215021920102, विषय शीर्ष- 0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण से की जायेगी। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में आवश्यक राशि का उपबंध है।

6. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:-

(i) योजना का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकाय द्वारा किया जाएगा।

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर किया जाएगा।

(iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

(iv) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

4

- (v) योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।
9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-2ब०/ना०नि०-02-01/2013 के पृष्ठ सं०- 76 /टि० पर दिनांक- 21.12.17 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०- 78 /टि० पर दिनांक- 26.12.17 को प्राप्त है।
11. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, पटना एवं समस्तीपुर/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, समस्तीपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

29.12.17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापक-2ब०/ना०नि०-02-01/2013 88 /न०वि०एव०आ०वि०/पटना, दिनांक-03/01/18

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, पटना एवं समस्तीपुर/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, समस्तीपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुडा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.12.17

सरकार के विशेष सचिव।

2/11/18